भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 955
22.11.2019 को उत्तर के लिए
फसल के अवशेषों को जलाना

955. श्री कुलदीप राय शर्मा; श्री जय प्रकाश; श्री राजेन्द्र अग्रवाल; श्री मागुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी; श्री चिराग कुमार पासवान; श्री कौशलेन्द्र कुमार; श्री अदला प्रभाकर रेड्डी; श्री नामा नागेश्वर राव; प्रो॰ सौगत राय; श्री चुन्नी लाल साहु; श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः; श्री हरीश द्विवेदी; श्री खगेन मुर्मु; श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'; श्री प्रसून बनर्जी; डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हे; श्री मनोज तिवारी; श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे; डॉ॰ सुभाष रामराव भामरे; श्री महाबली सिंह; और श्री ए॰के॰पी॰ चिनराजः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न राज्यों में धान की पराली/फसल के अवशेषों को अबाधित रूप से जलाने का काम जारी है जिसके परिणामस्वरूप शहरों और महानगरों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और गत एक महीने के दौरान दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसानों को फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए सरकार ने सभी राज्यों द्वारा किसानों को प्रोत्साहन, नई प्रौद्योगिकियां और अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए एक व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या धान की पराली को जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली के पड़ौसी राज्यों के परामर्श से गत दो वर्षों में कोई बड़ी पहल की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों की बैठक बुलाई है ताकि परिवहन और पराली को बिजली संयंत्रों में ईंधन के रूप में उपयोग करने पर एक स्पष्ट तंत्र तैयार किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं;

(ङ) क्या राज्यों ने फसल अवशेषों को हटाने, संग्रह करने और भंडारण के लिए प्रत्येक जिले में स्थान की पहचान करने के लिए कोई ठोस विकास योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए नाबार्ड के माध्यम से हरित पर्यावरण कोष से धन प्राप्त करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रदूषण को नियंत्रित करने और धान की पराली/फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क), (ख), (ग) और (च) : पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने को सर्दियों के शुरूआती महीनों में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खराब वायु गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक माना गया है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं रिसर्च तंत्र (एसएएफएआर) के अनुसार, दिल्ली के $PM_{2.5}$ स्तरों में पराली जलाने का अनुमानित प्रभाव 2% (07.11.2019) से 46% (31.10.2019) के बीच रहा। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों में अक्तूबर, 2019 के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तरों का ब्यौरा **अनुबंध-क** में दिया गया है।

पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2019-20 की अवधि के लिए 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल के अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण को बढावा' देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 1151.80 करोड़ रूपए (2018-19 में 591.65 करोड़ रूपए और 2019-20 में 560.15 करोड़ रूपए) के कुल परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है।

इस योजना के तहत, फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन हेतु संयुक्त किसानों के लिए सुपर स्ट्रा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस), हैप्पी सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी हल, पैडी स्ट्रा चौपर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, जीरो टिल सीड ड्रिल और रोटावेटर जैसी कृषि मशीनों और उपकरणों को व्यक्तिगत किसानों को 50% सब्सिडी और कस्टम हायरिंग केंद्रो (सीएचसी) की स्थापना के लिए 80% सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकारों द्वारा फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन हेतु सब्सिडी के आधार पर व्यक्तिगत

किसानों तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों को 56290 से अधिक मशीनों को आपूर्ति की गई है। वर्ष 2019-20 के दौरान, 46578 से अधिक मशीनों की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 06.11.2019 के आदेश के तहत जारी निदेशों के अनुपालन में, पंजाब सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों, जो बासमती से इतर धान की खेती करते हैं और धान के अवशिष्ट को जलाए बिना स्व-स्थाने पद्धति से उसका प्रबंधन करते हैं, को 100/- रूपए प्रति कुंतल की दर से मुआवजा प्रदान करने हेतु एक योजना की शुरूआत की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा भी फसल अवशेषों के स्व-स्थाने तथा बाह्य- स्थाने प्रबंधन के लिए 1000/- रूपए प्रति एकड़ प्रचालन प्रभार उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा भी उन किसानों को, जिन्होंने 06.11.2019 के पश्चात् और 15.11.2019 तक अपनी धान की फसल का विक्रय किया है और फसल अवशेष को नहीं जलाया है, को 100/- रूपए प्रति कुंतल की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिनांक 10.12.2015 को पारित आदेश में निदेश जारी किया था और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान राज्य, पंजाब राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य और हरियाणा राज्य के किसी भी भाग में कृषि अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या निकाय को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा जिसकी वसूली संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी।

इसके अलावा, राज्यों द्वारा किसानो में जागरूकता पैदा करने हेतु व्यापक स्तर पर सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) कार्यकलाप संचालित किए गए हैं। राज्यों द्वारा उनके विरूद्ध, जिन्होंने पराली जलाई है, एफआईआर दर्ज़ करके तथा दण्ड प्रभारित करके भी सख्त उपाय किए जा रहे हैं।

सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप, पराली जलाने की घटनाओं में वर्ष 2017 और 2016 की तुलना में वर्ष 2018 में कुल-मिलाकर क्रमश: लगभग 15% और 41% की कमी आई है। वर्ष 2019-20 के फसल मौसम के दौरान, 18 नवम्बर, तक तीन राज्यों में पराली जलाने की कुल घटनाओं में वर्ष 2018 की तुलना में 19.2% की कमी दर्ज़ की गई। वर्तमान फसल मौसम में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में पराली जलाने की घटना में वर्ष 2018 की तुलना में क्रमश: 36.8%, 25.1% और 16.8% की कमी दर्ज़ की गई।

(घ) और (ड.) : विद्युत मंत्रालय तथा पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों के साथ आयोजित बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसार, यह सुनिश्चित करने हेतु प्रभावकारी कदम उठाए जाएंगे कि कोयला आधारित सभी ताप विद्युत संयंत्र, जिनमें निजी क्षेत्रों में संचालित संयंत्र शामिल हैं, कोयले के साथ-साथ कम से कम 5% और 10% तक बायोमास पैलेट का सह-दहन करेंगे।

****

अनुबंध-क

दिल्ली और एनसीआर के प्रमुख शहरों की अक्तूबर, 2019 के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक की तुलनात्मक स्थिति

दिनांक	दिल्ली	फरीदाबाद	गुरूग्राम	गाजियाबाद	नोएडा
01-अक्तूबर-19	93	46	एनए	85	82
02-अक्तूबर-19	90	एनए	65	82	118
03-अक्तूबर-19	136	एनए	76	184	177
04-अक्तूबर-19	100	एनए	83	108	116
05-अक्तूबर-19	98	117	72	109	102
06-अक्तूबर-19	127	101	81	135	136
07-अक्तूबर-19	130	एनए	98	162	144
08-अक्तूबर-19	112	102	78	119	114
09-अक्तूबर-19	173	150	122	186	175
10-अक्तूबर-19	211	एनए	171	225	193
11-अक्तूबर-19	216	250	190	264	262
12-अक्तूबर-19	222	248	175	263	252
13-अक्तूबर-19	270	253	198	320	310
14-अक्तूबर-19	252	263	205	277	273
15-अक्तूबर-19	270	293	240	308	297
16-अक्तूबर-19	304	300	287	339	326
17-अक्तूबर-19	284	245	279	298	283
18-अक्तूबर-19	248	214	258	270	243
19-अक्तूबर-19	161	256	219	169	167
20-अक्तूबर-19	238	243	185	269	250
21-अक्तूबर-19	249	213	201	284	260
22-अक्तूबर-19	207	161	174	236	210
23-अक्तूबर-19	242	258	195	285	246
24-अक्तूबर-19	311	एनए	294	335	319
25-अक्तूबर-19	284	260	280	303	284
26-अक्तूबर-19	287	259	239	303	280
27-अक्तूबर-19	337	323	299	395	358
28-अक्तूबर-19	368	358	372	396	397
29-अक्तूबर-19	400	387	368	446	439
30-अक्तूबर-19	419	404	365	478	450
31-अक्तूबर-19	410	402	341	482	452

एनए - उस तिथि को एक्यूआई उपलब्ध नहीं।

श्रेणी	
अच्छा	(0–50)
संतोषजनक	(51–100)
मध्यम	(101–200)
खराब	(201–300)
बहुत खराब	(301–400)
गंभीर	(>401)